

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1

संख्या: 143122/2022/ 71-1001/478/2020

लखनऊ: दिनांक 24 फरवरी, 2022

विज्ञप्ति / नियुक्ति

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सीधी भर्ती के रूप में सहायक आचार्य, स्टेटिशियन कम प्रवक्ता विशिष्टता में सहायक आचार्य के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 के पत्र संख्या-14/252/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनांक 17 नवम्बर, 2021 एवं संख्या-252(1)/14/डी0आर0/सेवा-8/2014-15, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 में की गयी संस्तुति के आधार पर श्री राज्यपाल श्री रूपेश तिवारी पुत्र श्री बृज किशोर तिवारी (रजि0न0 52020135361) को राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर में वेतन एकेडेमिक लेवल-11 (इन्ट्री पे-रू0 68,900) में निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी रूप से नियुक्त/तैनात करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

- (1) संबंधित अभ्यर्थी को सहायक आचार्य के पद/वेतनमान के अनुरूप समय-समय पर जारी शासनादेशों के अंतर्गत मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते अनुमन्य होंगे।
- (2) संबंधित अभ्यर्थी अविलम्ब एवं तत्काल अपने पद पर कार्यभार ग्रहण कर ले अन्यथा यह नियुक्ति आदेश स्वतः निरस्त कर दिया जायेगा और उनका अभ्यर्थन समाप्त हो जायेगा।
- (3) नियुक्ति स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार का कोई यात्रा भत्ता देय न होगा।
- (4) संबंधित अभ्यर्थी को उत्तर प्रदेश सरकारी डाक्टर (एलोपैथिक) प्राइवेट प्रैक्टिस निबन्धन नियमावली, 1983 के अनुसार प्राइवेट प्रैक्टिस करने की अनुमति नहीं होगी। मेडिकल अभ्यर्थियों को प्राइवेट प्रैक्टिस के बदले उन्हें नियमानुसार निर्धारित दर से प्रैक्टिस बन्दी भत्ता देय होगा।
- (5) उक्त नियुक्ति को उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों अध्यापकों की सेवा नियमावली, 1990 (यथासंशोधित) के प्राविधानों के अधीन होगी तथा उक्त नियमावली के नियम-18 के अन्तर्गत परीक्षा अवधि दो वर्ष की होगी।
- (6) संबंधित अभ्यर्थी को यथावश्यक जनहित में प्रदेश के किसी भी राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज में उसी पद पर स्थानान्तरित कर तैनात किया जा सकेगा।

2- कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किये जानें आवश्यक होंगे:-

- (1) दो ऐसे राजपत्रित अधिकारी जो सेवा में हो और उनके निजी जीवन से पूर्ण रूप से परिचित हो, किन्तु उनके संबंधी न हों, द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाणपत्र।
- (2) अभियोजन लम्बित न होने तथा मा0 न्यायालय में वाद विचाराधीन न होने अथवा मा0 न्यायालय द्वारा दण्डित न होने के संबंध में शपथपत्र।
- (3) ओथ एलीजिएन्स का प्रमाण पत्र।
- (4) गोपनीयता का प्रमाण पत्र।
- (5) चल एवं अचल सम्पत्ति का प्रमाण पत्र।
- (6) एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का प्रमाण पत्र।

3- अभ्यर्थी का स्वास्थ्य परीक्षण राज्य चिकित्सा परिषद के समक्ष नहीं हुआ है, वे संबंधित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण कराने के उपरान्त संबंधित मेडिकल कालेज में कार्यभार ग्रहण करेंगे।

122/2022

चिकित्सा शिक्षा
4- अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण कराने से पूर्व संबंधित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा संबंधित अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र ले लिया जायेगा कि उनके चरित्र एवं प्राग्वृत्त सत्यापन के संबंध में कोई प्रतिकूल तथ्य पाए जाने पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी।

Signed by आलोक कुमार
Date: 24-02-2022 17:24:48
Reason: (आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या-उपरोक्त तददिनांक

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. सचिव, लोक सेवा आयोग, उ०प्र० प्रयागराज।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे कृपया नियुक्ति आदेश की प्रति वेबसाइट पर अपलोड कराया जाना सुनिश्चित करें।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी, सहारनपुर।
6. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
7. श्री रूपेश तिवारी, मकान सं०-ए-3991 राजेन्द्र नगर निकट बांके बिहारी का मंदिर, आवास विकास कालोनी जनपद बरेली (उ०प्र०) पिन-2431221
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० प्रयागराज को गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस०पी० सिंह)
अनु सचिव

कार्यालय महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

संख्या: एम०ई०-2/2022/ 481-82

लखनऊ: दिनांक 3 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, सहारनपुर।
2. श्री रूपेश तिवारी, मकान सं०-ए-3991 राजेन्द्र नगर निकट बांके बिहारी का मंदिर, आवास विकास कालोनी जनपद बरेली उ०प्र० पिन-2431221

महानिदेशक
चिकित्सा शिक्षा